कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 41/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 04.02.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 04.02.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना-जहानांगंजः- वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 19.08.24 को उपनिरीक्षक आदित्य कुमार सिंह मय हमराह को मुखबिर से सूचना मिली की एक व्यक्ति रामशब्द राजभर पुत्र शिवदसई प्रसाद राजभर निवासी दयालापुर गम्भीरबन थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 40 वर्ष द्वारा अपने घर पर गांजा की बिक्री की जा रही है। प्राप्त सूचना के आधार पर मौके से अभियुक्त उपरोक्त को प्लास्टिक की थैली में 2 किलो 400 ग्राम अवैध गाँजा के साथ गिरफ्तार किया गया। जिससे बरामद गाँजे के बारे में पूँछने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मुझे इस माल को एक व्यक्ति रामनयन पुत्र अज्ञात जो अपना घर ग्राम खौरहटिया थाना मेंहनगर बताया था और दूसरे व्यक्ति जिसने अपना नाम पतिराज उर्फ दाढ़ी पुत्र अज्ञात निवासी दरियापुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ बताया था द्वारा अपना माल बेचने के लिये दिया जाता था। मैं आँख से सूर हूँ अतः गांजे को बेचने में मेरी मदद मेरी माँ गुड्डी देवी पत्नी शिवदसई प्रसाद राजभर द्वारा किया जाता है। यह माल जो आप को मिला है वह रामनयन और दाढ़ी दोनों के द्वारा मुझे बेचने के लिए दिया गया था। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 429/24 धारा 8/20 NDPS ACT बनाम

1.रामशब्द राजभर पुत्र शिवदसई प्रसाद राजभर निवासी दयालापुर गम्भीरबन थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

2.गुड्डी देवी पत्नी शिवदसई प्रसाद राजभर निवासी दयालापुर गम्भीरबन थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

3. रामनयन पुत्र अज्ञात जो अपना घर ग्राम खौरहटिया थाना मेहनगर थाना जहानागंज

4.पतिराज उर्फ दाढ़ी पुत्र अज्ञात निवासी दरियापुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 04.02.2025 को उ0नि0 अभिषेक कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त रामबचन यादव उर्फ दाड़ी पुत्र पतिराज यादव निवासी दरिया पट्टी थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ उम्र करीब 60 वर्ष को अभियुक्त के घर पर दबिश देकर समय करीब 5.40 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु0अ0स0 429/24 धारा 8/20 NDPS ACT थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0स0 429/24 धारा 8/20 NDPS ACT थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

2.मु0अ0सं0 141/2012 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चिरैयाकोट मऊ

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. रामबचन यादव उर्फ दाड़ी पुत्र पतिराज यादव निवासी दरिया पट्टी थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ उम्र करीब 60 वर्ष

02.थाना-अतरौलियाः- किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 29.11.2024 को वादिनी/पीडिता द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि अभियुक्त संतोष निषाद पुत्र लालता निषाद सा0 प्रतापपुर कला थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा वादिनी/पीड़िता से शादी का झांसा देकर उसके इच्छा के विरुद्ध शारीरिक सम्बन्ध बनाया गया तथा शादी करने के लिये कहने पर गाली गलौज करते हुए मारा-पीटा गया व जान से मारने की धमकी दी गयी। जिसके संबंध में मा0 न्यायालय के आदेशानुसार थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 385/24 धारा 376,323,504,506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 04.02.2025 को उ0नि0 विनय कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त संतोष निषाद पुत्र लालता निषाद सा0 प्रतापपुर कला थाना जैतपुर अम्बेडकर नगर उम्र 27 वर्ष को ग्राम बढ्या बाजार से समय करीब 08.55 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

03.थाना-कंधरापुरः-गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरणः-

दिनांक 28.01.2025 को अनुमोदन शुदा गैंग चार्ट के साथ दिनांक 30.01.2025 को प्रभारी निरीक्षक थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ कृष्ण कुमार गुप्ता द्वारा थाना स्थानीय पर आकर मु0अ0सं0 24/2025 धारा 2(ख)(17)/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 बनाम 1. अमजद उर्फ डेगा पुत्र नगीना उम्र-32 वर्ष निवासी ग्राम मखनहा पकड़ियापुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ (गैंग लीडर) 2.छोटू पंडित उर्फ अंकित तिवारी पुत्र रामसिंगार तिवारी निवासी ग्राम ककरापार थाना जहागीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर 3.मंसूर पुत्र अनवर निवासी ग्राम मखनहा पकड़ियापुर थाना अतरौलिया आजमगढ़ 4.सुनील यादव पुत्र लालजीत यादव निवासी ग्राम भीमलपट्टी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ 5. जुम्मन पुत्र जुल्फन निवासी ग्राम मेहियापार थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़ 6. सलाऊद्दीन पुत्र तौहिद निवासी ग्राम मेहियापार थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़ के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 04.02.2025 को प्रभारी निरीक्षक कृष्ण कुमार गुप्ता मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त/गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त छोटू पंडित उर्फ अंकित तिवारी पुत्र रामसिंगार तिवारी निवासी ग्राम ककरापार थाना जहागीरगंज जनपद अम्बेडकर नगर उम्र करीब 26 वर्ष को भँवरनाथ से आगे करतालपुर तिराहे से पहले समय करीब 05.15 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु0अ0सं0 24/2025 धारा 2(ख)(17)/3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना कन्धरापुर आजमगढ़।

आपराधिक इतिहासः-

1.छोटू पंडित उर्फ अंकित तिवारी पुत्र रामसिंगार तिवारी निवासी ककरापार थाना जहागीरगंज अम्बेडकर नगर उम्र 26 वर्ष

01. मु0अ0सं0 294/2023 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम व धारा 420/467/468/471 भादवि थाना कन्धरापुर आजमगढ।

02. मु0अ0सं0 261/2021 धारा 323/504/506 भादवि थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर।

03. मु0अ0सं0 304/2020 धारा 323/354/506 भादवि व 3(1)द ,3(1)ध SC/ ST एक्ट थाना जहांगीरगं जनपद अम्बेडकरनगर

04. मु0अ0सं0 35/2024 धारा 174ए भादवि थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।

06. मु0अ0सं0 261/2021 धारा 323/504/506 भादवि थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर।

04.थाना-मुबारकपुरः- चोरी करने वाले 02 बाल अपचारी को चोरी के सामान के साथ पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-

➡ दिनांक 18.01.2025 को वादिनी विजयलक्ष्मी पाण्डेय पत्नी उमाकान्त पाण्डेय निवासिनी नसीरूद्दीनपुर सठियांव थाना मुबारकपुर आजमगढ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादिनी के घर में घुसकर घर में रखे एक कुन्तल चावल व स्टील की टंकी, वर्तन, गले की चैन व कान का झूमका अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 28/2025 धारा 305 भादवि बनाम अज्ञात चोरों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

➡ दिनांक 03.02.2024 को वादी गया प्रसाद जायसवाल पुत्र स्व0 लालबिहारी जायसवाल निवासी ग्राम नूरपुर बुतात थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ द्वारा अपने कटरा स्थित कबाड़ की दुकान जो प्रिया टेन्ट हाउस के बगल मे हाते के अन्दर है से अज्ञात चोर द्वारा हाते में घुसकर ग्लैन्डर मशीन, छेनी, हथौड़ा, प्लास अल्मुनियम का तार, जहाजी एल्मुनीयम, लोहे की बालने वाली मशीन आदि सामान चोरी कर लिया गया है। जिसके आधार पर थाना मुबारकपुर पर मु0अ0स0 52/2025 धारा 305 भादवि पंजीकृत की गयी। जिसकी विवेचना उ0नि0 सौरभ सिंह द्वारा की जा रही है। विवेचना के क्रम मेः-

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 03.02.2025 को उ0नि0 अखिलेश कुमार चौबे व उ0नि0 सौरभ सिंह मय हमराह को मुखबिर से सूचना मिली कि दो व्यक्ति एक ई-रिक्शा से चोरी का सामान बेचने के लिये कस्बा मुबारकपुर से इस्लामपुरा होते हुए आजमगढ जा रहे है इस सूचना पर उ0नि0 अखिलेश कुमार चौबे मय व उ0नि0 सौरभ सिह मय हमराह द्वारा मौके पर पहुंचकर ई-रिक्शा सहित 02 बाल अपचारी को समय करीब 23.55 पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। जिनके कब्जे से चोरी का माल 20 किलो एलुमीनीयम का तार, छेनी, हथौड़ी, प्लास, लोहे की बालने वाली मशीन, ग्लैन्डर मशीन व अन्य लोहे की सामान तथा 02 अदद ड्रम स्टील टंकी मय ढक्कन के बरामद किया गया।

05.थाना-कोतवालीः- उ0प्र0 पुलिस आरक्षी सीधी भर्ती-2023 के डीवीपीएसटी में भर्ती हेतु कूटरचित दस्तावेज पेश करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहासः-

उ0नि0 जावेद अख्तर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि उप्र पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के लिखित परीक्षा में पास अभ्यार्थियों के डीवीपीएसटी हेतु पुलिस लाईन आजमगढ़ में कार्यालय बनाकर व नियमानुसार टीम गठित कर बायोमैट्रीक एवं अभिलेखों का परीक्षण चल रहा है जिसके द्वितीय दल में श्री सन्त रंजन अध्यक्ष उपजिलाधिकारी न्यायिक सगड़ी आजमगढ़, श्री किरन पाल सिंह सदस्य पुलिस उपाधीक्षक आजमगढ़, डाक्टर पंकज राय सदस्य सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र छाऊ आजमगढ़, श्री चन्दन प्रसाद भारती वरिष्ठ प्रवक्ता डायट आजमगढ़ एवं मैं जावेद अख्तर अतिरिक्त अधिकारी/ उप निरीक्षक थाना कन्धरापुर आजमगढ़ हूँ। आज दिनाक 03.02.2025 को बायोमैट्रीक जाँच हेतु अभ्यर्थी हरिनरायण कुमार पुत्र लाल जी प्रसाद नि0 ग्राम उधरन तहसील बेल्थरा रोड थाना भीमपुरा जनपद बलिया उम्र 19 वर्ष समय करीब 15.30 बजे बायोमैट्रीक परीक्षण हेतु भर्ती बोर्ड कार्यालय उपस्थित आया। उक्त अभ्यर्थी दिनाँक 31/01/2025 को बायोमैट्रीक एवं अभिलेखों के परीक्षण हेतु भर्ती बोर्ड कार्यालय पुलिस लाइन आजमगढ़ उपस्थित आया था किन्तु मूल जाति प्रमाण पत्र न लाने के कारण नोडल अधिकारी द्वारा दिनाँक 03/02/25 को पुनः आने की तिथि नियत की गयी थी। अभ्यर्थी हरिनरायण कुमार उपरोक्त द्वारा जाँच हेतु दिये गये अभिलेखों में जाति प्रमाण पत्र प्रथम दृष्टया कूटरचित प्रतीत हुआ। जिसके जाँच में ज्ञात हुआ कि यह प्रमाण पत्र कूटरचित ही है जिसके विषय में हरिनरायण कुमार पुत्र लाल जी प्रसाद नि0 ग्राम उधरन तहसील बेल्थरा रोड थाना भीमपुरा जनपद बलिया से पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा बताया गया कि मेरे पास जाति प्रमाण पत्र निर्धारित तिथि का नहीं था अनुचित लाभ लेकर नैकरी लेने के लिए

तहसील बेल्थरा रोड जनपद बलिया के बगल से कूटरिचत जाति प्रमाण पत्र बनवाया था। पुलिस की भर्ती में लाभ लेने के लिए आज प्रयोग किया था इस प्रकार से अभियुक्त हरिनरायण कुमार उपरोक्त के द्वारा अनुचित लाभ पाने के उद्देश्य से मूल्यवान प्रतिभूति जाति प्रमाण पत्र का कूटरचित जानते हुए प्रयोग किया गया है। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 62/25 धारा 318(3)/338/336(2)/340(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। उ0नि0 जावेद अख्तर अतरिक्त अधिकारी/उ0नि0 थाना कन्धरापुर द्वारा पुलिस लाइन आजमगढ़ से दिनांक 03.02.2025 को समय 20.50 बजे अभियुक्त को नियमानुसार हिरासत में लेकर थाना स्थानीय पर लाया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. हरिनरायण कुमार पुत्र लालजी प्रसाद निवासी ग्राम उधरन तहसील बेल्थरा रोड थाना भीमपुरा जनपद बलिया उम्र करीब 19 वर्ष

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 62/25 धारा 318(3)/338/336(2)/340(2) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

06.थाना-कप्तानगंज:- 1,50,000 रूपये लूट की झूठी सूचना देने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण:-

दिनांक 03.02.2025 को एक व्यक्ति अगम सिंह पुत्र स्व0 सत्यदेव सिहं निवासी भीलमपुर छपरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ मो0नं0 84xxxxxxxx से डायल 112 पर समय लगभग 22.10 बजे सूचना दिया गया कि मुखलिसपुर में मेरे साथ मार पीटकर एक लाख पचास हजार छीन लिया गया है। मौके पर पुलिस द्वारा पहुँचकर पूछताछ किया गया तो सूचनाकर्ता द्वारा बताया गया कि मैं देउरपुर में स्थित सरस्वती मैरेज लान में शादी में सम्मिलित होने आया था। शादी में सम्मिलित होने के उपरान्त मैं नहर के रास्ते ग्राम भेदौरा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ गया। वहाँ पर सोनू सिंह उर्फ दीपक सिंह के यहा जन्म दिवस की पार्टी में शामिल हुआ 10 मिनट तक रुका उसके बाद देवखरी आजमगढ़ में समर सिंह के यहा शादी में सम्मिलित होने के लिए नहर के रास्ते निकला था कि 06 मोटरसाईकिल चालक मेरी स्कार्पियों संख्या UP45AP1010 का पीछा करने लगे जैसे ही मुखलिसपुर गांव के गैस एजेन्सी के पास पहुँचे कि तीन मोटरसाईकिल वाले मेरे स्कार्पियों के आगे आकर मेरी स्कार्पियों रोक दिये और मुझे रोककर मेरे साथ मार-पीट किये उसके बाद मेरी स्कार्पियों के अन्दर रखे 1,50,000.00/- रुपये छीन लिये तथा मेरी स्कार्पियों के पीछे का शीशा भी तोड़ दिये। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि सूचनाकर्ता दिनांक 03.02.2025 को दिन में लगभग 17.00 बजे अभिषेक यादव उर्फ पप्पू यादव बूढनपूर थाना अतरौलिया स्थित शराब की भट्ठी पर शराब पीने गया था। जहाँ पर अभिषेक यादव उर्फ पप्पू यादव एक लडके आनन्द वर्मा के साथ शराब पिया उसके बाद आनन्द वर्मा द्वारा अगम सिंह उपरोक्त को बुलाया गया तो अगम सिंह शराब की भट्ठी पर आये उस समय अभिषेक यादव उर्फ पप्पू यादव उपरोक्त के साथ आनन्द वर्मा उपरोक्त भी था। अगम सिंह व दोनो व्यक्तिंयों से कहा सुनी हो गयी तब अगम सिंह को वहाँ से भगा दिये गया। तब अगम सिंह द्वारा अपनी स्कार्पियों का शीशा तोड़कर अभिषेक यादव उर्फ पप्पू यादव व आनन्द वर्मा उपरोक्त को फँसाने की नियति से लूट की गलत सूचना दिया गया। पूछताछ व जाँच से अगम सिंह उपरोक्त द्वारा दी गई लूट की सूचना गलत पायी गयी है। अगम सिंह उपरोक्त द्वारा आनन्द वर्मा व अभिषेक यादव उर्फ पप्पू यादव उपरोक्त के विरुद्ध लूट का मुकदमा लिखवाकर क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या इत्तिला दिया गया घटना मनगढंत व झूठा पाया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 27/25 धारा- 217, 248(ख) बी0एन0एस0 बनाम अगम सिंह पुत्र स्वं0 सत्यदेव सिंह निवासी भीमलपुर छपरा थाना- अतरौलिया जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 04.02.25 को उ0नि0 विनोद यादव हमराह मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अगम सिंह पुत्र स्वं0 सत्यदेव सिंह निवासी भीमलपुर छपरा थाना- अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को समय करीब 09.00 बजे प्रातः ग्राम देऊरपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

07.थाना-अहरौलाः-अवैध गांजा के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

आज दिनांक 04.02.25 को थाना प्रभारी उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा थाना अहरौला जिला आजमगढ़ मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति करिया उर्फ सोनू नोना पुत्र धनमन नोना निवासी ग्राम मोलनापुर थाना अहरौला जिला आजमगढ उम्र लगभग 27 वर्ष को बरईपुर मंगारीपुर पुलिया से 01 किलो 250 ग्राम नाजायज गांजा के साथ समय करीब 08.15 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 043/2025 धारा 8/20 NDPS एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु0अ0सं0 043/2025 धारा 8/20 NDPS एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

01. करिया उर्फ सोनू नोना पुत्र धनमन नोना निवासी ग्राम तरकुलहा हाल पता मोलनापुर थाना अहरौला आजमगढ उम्र 27 वर्ष ।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 018/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना अहरौला आजमगढ़ ।
2. मु0अ0सं0 293/2024 धारा 323/504/506/325/308 भादवि थाना अहरौला आजमगढ़ ।

उत्तर प्रदेश पुलिस